

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 2-04/2024--

पटना, दिनांक- / /2026

डा० राम नाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा के द्वारा विभिन्न अवधियों में उपभोगित अवकाश को वित्त विभागीय पत्राक-549(25), दिनांक-20.04.2020 एवं पत्राक-993(25), दिनांक-18.06.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 234 के तहत निम्नरूपेण अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है-

1. दिनांक-05.01.2000 से 20.02.2000 तक कुल-47 (सैतालीस) दिन - उपार्जित अवकाश के रूप में।
 2. दिनांक-26.09.2000 से 10.10.2000 तक कुल-15 (पंद्रह) दिन - उपार्जित अवकाश के रूप में।
 3. दिनांक-21.02.2023 से 12.03.2023 तक कुल-20 (बीस) दिन - रूपांतरित अवकाश के रूप में (कुल-40 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले में)।
2. उक्त में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक :-17/एल2-04/2024--

804(17)

पटना, दिनांक :-09/07/2026

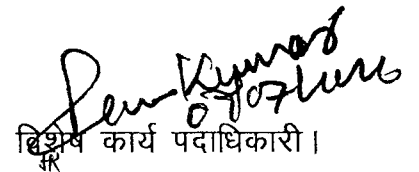
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ड०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० राम नाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, पत्राचार का पता-नबाब बहादुर रोड, डाकघर-झाऊगंज पटना सिटी, थाना-खाजेकलॉ, जिला-पटना, पिन कोड-800008 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।